



मूल्य : 50 रुपये

श्री राजपूत समा जयपुर द्वारा संचालित

श्री राजपूत कन्या छात्रावास

महारानी फार्म, दुर्गापुर, जयपुर फोन : 0141-2361121

छात्रावास प्रवेश आवेदन - पत्र सन्.....

क्रमांक :-

140

प्रेषित:

आवासाधिकारी,

श्री राजपूत कन्या छात्रावास,

जयपुर।

* कमरा नं.

दिनांक
आवास अधिकारी आदेश संख्या व दिनांक

छात्रावास लिपिक

* आवंटित किया गया कमरा किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

महोदय/महोदया,

मैं आपको छात्रावास में प्रवेश हेतु आवश्यक विवरण सहित आवेदन करती हूँ :-

1. पूरा नाम :
2. पिता / अभिभावक का नाम एवं मासिक आय :
3. स्थाई पता :
4. कक्षा एवं कॉलेज/विभाग :
5. जन्म तिथि :
6. क्या आवेदक अथवा उसके माता/पिता का जयपुर शहर में कोई निजी अथवा किराये का मकान है? :
7. माता पिता द्वारा मनोनीत स्थानीय संरक्षक का नाम और पता (दूरभाष नं.) :
8. क्या आवेदक के विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। यदि हां तो कब और क्यों? : हां/नहीं
9. क्या आवेदक के विरुद्ध कहीं कोई पुलिस केस पंजीकृत हुआ है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण दीजिए कि कौनसी धारा में आरोपित है। :
10. क्या आवेदक कभी किसी अपराध में दंडित हुई है? यदि हां, तो कब तथा किस आधार पर, पूर्ण विवरण दीजिए। :

प्रार्थी अपना स्वयं का पासपोर्ट आकार का अपनी शैक्षणिक, संस्था के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटो लगायें।

11. क्या आवैदक पिछले वर्षों में छात्रावास की छात्रा थी ? यदि हाँ तो निम्न सूचना वर्षवार दीजिये :

क्रमांक	छात्रावास का नाम	निवास के वर्ष से तक	कमरा नं.	छात्रावास जीवन में यदि कोई विशिष्टता प्राप्त की हो तो विवरण दे
1.				
2.				
3.				

12. अंतिम चार उत्तीर्ण परीक्षाओं का पूर्व विवरण (मूल/प्रमाणित अंकतालिका सहित)

क्रं.	अंतिम परीक्षा	वर्ष	प्रयास	संस्थान	श्रेणी	प्राप्तांक	पूर्णाङ्क	प्रतिशत
1.								
2.								
3.								
4.								

13. अन्य गतिविधियों का विवरण एवं खेल - कूद में योग्यता यदि कोई हो (विश्वविद्यालय खेल बोर्ड या राज्य खेल परिषद के मूल प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

14. प्रार्थी द्वारा घोषणा :-

मैं, श्री राजपूत कन्या छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करती हूँ और मैं भली भांति समझती हूँ कि छात्रावास के किसी भी नियम का उल्लंघन अथवा दण्डनीय अपराध अथवा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है। मैं अपने कमरे के पंखे, कुर्सी आदि सामान का पूर्ण उत्तरदायित्व लेती हूँ तथा इनके गुम या क्षतिग्रस्त होने की पूरी जिम्मेवारी मुझ पर होगी। मैं प्रमाणित करती हूँ कि सम्पूर्ण विवरण जो ऊपर दिये गये हैं, सही है। मैं यह भी सत्यापित करती हूँ कि मैं किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत नहीं हूँ। यदि मैं छात्रावास में रहते हुए किसी भी समय किसी वैतनिक व्यवसायिक कार्य में रत होऊँगी तो मैं तुरन्त छात्रावास को खाली कर दूँगी।

भवदीय

दिनांक

(प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर)

15. पिता / संरक्षक का प्रमाण-पत्र :

मैं अपनी पुत्री / संरक्षित जब तक कि वह छात्रावास की छात्रा हैं, के अच्छे अनुशासित व्यवहार का उत्तरदायी हूँ तथा मैं उसके छात्रावास के किसी भी प्रकार के भुगतान, यदि बाकी हों तो उनके चुकाने का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पुत्री / संरक्षित के विषय में जो विवरण इस फार्म में दिया गया है, वह सही है। मैं जयपुर का निवासी नहीं हूँ ना ही मेरा जयपुर विकास प्राधिकरण या जयपुर नगर परिषद की सीमाओं में व्यक्तिगत या किराये का मकान है। यदि इनमें से कोई भी गलत पायें जावें तो मैं यह भलीभांति समझता हूँ कि मेरी पुत्री / संरक्षित का प्रवेश रद्द हो जावेगा। मैं को अपनी पुत्री / संरक्षित का स्थानीय संरक्षक मनोनीत करता हूँ। वह मेरी पुत्री संरक्षित के जयपुर में रहने के दौरान उसके आचरण के लिये उत्तरदायी होगे। मेरे द्वारा मनोनीत स्थानीय संरक्षक का पता निम्न प्रकार है।

स्थानीय संरक्षक के हस्ताक्षर

पता :

(पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर) मय पता व टेलीफोन

आवासाधिकारी की उपस्थिति में

16. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी को में प्रवेश दे दिया गया है। मैं उसकी आपके छात्रावास में प्रवेश के लिये संस्तुति करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि वह नियमों का पालन करेंगी। मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि उक्त छात्रा जयपुर में किसी भी सरकारी अथवा निजी संस्था में कार्यरत नहीं है।

(विभागाध्यक्ष / प्राचार्य के हस्ताक्षर)

छात्रावास शैक्षणिक शुल्क रूपये

रसीद नं.

दिनांक

द्वारा जमा हुए।

लेखापाल

सत्यापित प्रवेश शुल्क की रसीद अवश्य संलग्न करें।

टिप्पणियाँ:

- प्रार्थी द्वारा इस फार्म में दिये गये विवरणों में यदि बाद में कोई परिवर्तन हो तो उसे छात्रावास संरक्षक को तुरन्त सूचित करना चाहिए।
- प्रार्थना - पत्र में सही तथ्य नहीं देने / तथ्य छिपाने की स्थिति में प्रवेश रद्द कर दिया जावेगा।
- जो विवरण अनावश्यक हैं उन्हें काट दीजिये।
- बगैर प्रमाणिक अंकतालिका, प्रवेश शुल्क रसीद तथा विभागाध्यक्ष / प्राचार्य के हस्ताक्षर के प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

शपथ पत्र

(छात्रावास में प्रवेश पाने वाली को भर कर देना होगा)

मैं पुत्री श्री

छात्रावास के प्रत्येक नियम की पालना करूँगी जब तक छात्रावास में रहूँगी ।

1. मैं छात्रावास की फीस नियमित जमा करवाऊँगी ।
2. मैं अपने कमरे में किसी मेहमान या भित्र को बिना वार्डन की आज्ञा के नहीं आने दूँगी यदि ऐसा पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध जो भी प्रबन्ध समिति निर्णय लेगी स्वीकार होगा ।
3. मैं अपने कमरे में किसी प्रकार के हथियार जैसे पिस्टौल, चाकू, तलवार या अन्य अस्त्र नहीं रखूँगी ।
4. मैं छात्रावास या छात्रावास के बाहर किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में लिम नहीं होऊँगी ।
5. मैं छात्रावास में कोई नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूँगी ।
6. मैं छात्रावास को 30 जून को खाली कर दूँगी चाहे मेरी परीक्षा हुई हो या नहीं हुई हो । प्रबन्ध समिति द्वारा जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा ।
7. मैं कहीं पर नौकरी या अन्य कोई व्यवसायिक कार्य नहीं करूँगी । यदि मेरी नौकरी लगेगी या कोई व्यवसायिक कार्य करूँगी तो छात्रावास तुरन्त खाली कर दूँगी ।

यदि उपरोक्त वर्णित शर्तों की अनुपालना मे कहीं भी दोषी पायी जाती हूँ तो मेरा प्रवेश बिना सूचना के रद्द कर दिया जावे । जो मुझे मान्य होगा । मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने प्रवेश फार्म में कोई तथ्य नहीं छुपाया है न ही कोई झूंठा प्रपत्र संलग्न किया । यदि कहीं पर भी मैं दोषी पाई जाऊँ तो मुझे प्रबन्ध समिति का निर्णय मान्य होगा ।

दिनांक

हस्ताक्षर छात्रा

पूरा नाम.....
स्थाई पता व फोन नं.

हस्ताक्षर होस्टल वार्डन

स्थानीय राजपूत सभा जयपुर द्वारा संचालित



श्री राजपूत सभा जयपुर द्वारा संचालित

श्री राजपूत कन्या छात्रावास

छात्रावास वार्ड संख्या

पासपोर्ट साईज़ फोटो

आवासीय छात्रा का नाम

पिता/अभिभावक का नाम

कक्षा संकाय कमरा संख्या

स्थाई पता

स्थानीय अभिभावक/संरक्षक का नाम..... व्यवसाय.....

पता दूरभाष नं.

मैं के छात्रावास में आवासी रहने की अवधि में सम्पूर्ण अनुशासित रहने की जिम्मेदारी लेती/लेता हूँ।

(हस्ताक्षर स्थानीय अभिभावक / संरक्षक)

श्री राजपूत सभा के दो प्रतिनिधि

1.

या आजीवन सदस्य पाँच से अधिक

छात्राओं के फार्म पर हस्ताक्षर न करें।

उनके पते व हस्ताक्षर

हस्ताक्षर लिपिक

हस्ताक्षर वार्डन

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित नियम

1. कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की नियमित छात्राओं को ही मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
2. अनुतीर्ण छात्राओं, छूत की बीमारी से रोगी एवं दुराचरण सम्बन्धित पुलिस केस वाली छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जावेगा और प्रवेश पायी हुई छात्राओं को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जावेगा।
3. छात्रा को जो कमरा आवंटित किया जावेगा, उसी में निश्चित अवधि तक निवास करना होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश के समय पर जिस कक्षा की पढ़ाई हेतु प्रवेश दिया जाता है। उस कक्षा की परीक्षा के अन्तिम पेपर हो जाने के बाद 7 दिवस के भीतर कमरा खाली करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष में 30 जून को कमरा खाली कर वार्डन को सम्भलाना होगा। अगले वर्ष नवीन प्रवेश-पत्र भरना होगा।
5. प्रवेश - पत्र फीस 50 रु. है। छात्रावास रख रखाव शुल्क 12000 रु वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय जमा करवाना होगा।
6. प्रत्येक छात्रा को प्रवेश के समय रूपये 2500/- कॉशनमनी के रूप में जमा कराने होंगे। जो छात्रावास छोड़ते समय छात्रा को (अगर कोई कटीती हुई तो काटकर) वापस लौटा दिये जायेंगे। 6 माह तक न माँगने पर वह सभा की सम्पत्ति होगी।
7. कोई छात्रा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी।
8. प्रत्येक छात्रा को मैस में भोजन करना अनिवार्य है। कमरे में खाना खाते छात्रा मिलती है तो तीन दिवस तक मैस में भोजन नहीं करेगी व हाजरी लगेगी। और मैस में खाना खाते समय एक थाली में एक छात्रा ही खाना खायेगी। एक छात्रा दूसरी छात्रा की मेहमान बनकर मैस में खाना नहीं खा सकेगी। मैस एडवांस 2000 रु होगा।
9. प्रति माह की 7 तारीख तक मैस व बिजली चार्ज जमा करावे अन्यथा पाँच रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा। जो छात्रा छात्रावास से अनुपस्थित रहेगी उसकी मैस डाइट चालू रहेगी।
10. स्वीकृत अवकाश होने पर मैस डायट नहीं लगेगी।
11. कोई भी मेहमान रात्रि में छात्रावास में नहीं ठहर सकेगा।
12. छात्रावास की सम्पत्ति का दुरुपयोग, तोड़-फोड़ व नुकसान पहुँचाने पर छात्रा से उसकी क्षति पूर्ति की जावेगी। छात्रावास की कोई भी चल सम्पत्ति छात्रावास के बाहर नहीं ले जाई जावेगी।
13. छात्रावास के नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाली छात्रा दण्ड की भागीदार होगी। जो छात्रावास से निस्कासन तक भी किया जा सकता है। प्रबन्ध कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम होगा।
14. छात्रा अपना एक ऐसा संरक्षक पेश करेगी जो यह लिखित में दे कि वह छात्रा के आचरण और छात्रावास सम्बन्धित समस्त शुल्कों की अदायगी का उत्तरदायी होगा।
15. अनाधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।
16. छात्रावास का फाटक रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बन्द रहेगा। विशेष अवस्था में छात्रावास से बाहर रहने की वार्डन से लिखित में इजाजत लेना जरूरी है।
17. पंखे व लाइट के अलावा अन्य बिजली के उपकरण जैसे हीटर, बिजली की प्रेस आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
18. प्रत्येक छात्रा अपने स्वयं की वर्तमान फोटो की 3 कापियां संलग्न करे।
19. प्रत्येक छात्रा को श्री राजपूत सभा के कार्यक्रमों में बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जावेगी।